उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-7
संख्याः-4/94 रा0पा0/2024-सी०एक्स०-7
लखनऊः दिनाँक 13-08-2024

अनुमति-पत्र

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/3/98-का.प्र.स.को./1999, दिनांक 14 जून, 1999 के प्रस्तर-5 के बिन्दु संख्या-(1) (2) (3) (4) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री राजकुमार, निजी सचिव, ग्रेड-2, राज्यपाल सचिवालय को दिनाँक 12.10.2024 से से 24.10.2024 की अवधि में विदेश (दुबई) यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(क) संबंधित कार्मिक की उक्त प्रस्तावित यात्रा निजी व्यय पर अनुमन्य होगी।
(ख) उक्त अवकाश अवधि में सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार के समक्ष किसी प्रकार द्विविधाकी स्थिति उत्पन्न हो अथवा देश की प्रतिष्ठा दुष्प्रभावित होने की सम्भावना हो।
(ग) विदेश यात्रा के दौरान सम्बन्धित सरकारी सेवक को विदेश में रहकर किसी प्रकार का रोजगार / व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।
(घ) संबंधित सरकारी सेवक द्वारा नियमानुसार अवकाश स्वीकृत कराकर विदेश यात्रा की जायेगी एवं विदेश यात्रा से वापस आने पर कार्यालय को तत्काल सूचित करना होगा।
(ड) उक्त विदेश यात्रा की अवकाश अवधि का उपभोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

ह0/
(वेद प्रकाश द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. UNDER SECRETARY, Ministry Of External Affairs, Government Of INDIA, New Delhi-110001.
2. अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. रिजिनल पासपोर्ट आफिसर, पासपोर्ट आफिस काम्प्लेक्स, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, गृह एवं गोपन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त / पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
6. श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव पत्नी श्री राजकुमार निजी सचिव, ग्रेड-2, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/
(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।